



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 16 नवम्बर, 2024 / 25 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT, H. P. SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001 the 24th September, 2024

No. 1-38/2024-59336.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of four (04) days earned leave *w.e.f.* **27th to 30th August, 2024** in favour of **Shri Shalabh Thakur,**
173-राजपत्र / 2024-16-11-2024 (7809)

Assistant Advocate General of this department, with permission to avail prefix *i.e.* Sunday and gazetted holiday which fell on 25th and 26th August, 2024.

Certified that **Shri Shalabh Thakur, Assistant Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 04 days earned leave and that this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Shalabh Thakur, Assistant Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT, H. P. SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001 the 16th September, 2024

No. 1-32/2024-56954.— Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of fifteen days earned leave *w.e.f.* **07th to 21st August, 2024** in favour of **Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General**.

Certified that **Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 15 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT, H. P. SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001 the 3rd October, 2024

No. 1-14/2024-61975.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of three days earned leave *w.e.f.* **16th to 18th September, 2024** with permission to avail Suffix *i.e.* Second Saturday and Sunday falling on 14th and 15th September, 2024 in favour of **Sh. Amandeep Sharma, Additional Advocate General**.

Certified that **Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 03 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT, H. P. SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001 the 3rd October, 2024

No. 1-22/2024-61987.—Sanction is hereby accorded to the grant of 03 days earned leave *w.e.f. 23rd to 25th September, 2024* with permission to avail prefix *i.e.* Sunday falling on 22nd September, 2024 in favour of **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General.**

Certified that **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 03 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Sh. Tarun Pathak, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH)
*Deputy Advocate General,
Himachal Pradesh, Shimla.*

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

रेखा कुमारी पत्नी श्री नेरश कुमार, गांव छन्नी, डा0 व उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादिना ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा ।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4959/2024, दिनांक 23-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/19656, दिनांक 18-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) प्रधानाचार्य रिपोर्ट जिसमें आवेदिका रेखा कुमारी पत्नी श्री नेरश कुमार, गांव छन्नी, डा0 पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के बेटे अनुकल्प पुत्र श्री नरेश कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका के बेटे अनुकल्प पुत्र श्री नेरश कुमार, गांव छन्नी, डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अनुकल्प पुत्र श्री नेरश कुमार, गांव छन्नी, डा0 व उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05-04-2011 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के बेटे अनुकल्प पुत्र श्री नेरश कुमार, गांव छन्नी, डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

चमन लाल पुत्र श्री मुहणु राम, गांव हमरौता, डा0 राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4967/2024, दिनांक 25-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/17248, दिनांक 07-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) शिक्षा प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक चमन लाल पुत्र श्री मुहणु राम, गांव हमरौता, डा0 राजनगर, ग्राम पंचायत रूपणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक चमन लाल पुत्र श्री मुहणु राम, गांव हमरौता, डा0 राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है

जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-09-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चमन लाल पुत्र श्री मुहणु राम, गांव हमरौता, डा0 राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 11-09-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक चमन लाल पुत्र श्री मुहणु राम, गांव हमरौता, डा0 राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अन्जू कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, गांव टिपरा, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4969/2024, दिनांक 26-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/200028, दिनांक 26-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र आवेदिका अन्जू कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, गांव टिपरा, डा0 चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका अन्जू कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, गांव टिपरा, डा0 चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 26-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अन्जू कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, गांव टिपरा, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 07-11-1977 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक

माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका अन्जू कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह, गांव टिपरा, डा0 चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री बलदेव राम पुत्र श्री हुशियारू, गांव पलेई, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5001/2024, दिनांक 28-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/20026, दिनांक 26-10-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें श्री बलदेव राम पुत्र श्री हुशियारू, गांव पलेई, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के पिता श्री हुशियारू पुत्र श्री कच्छू, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पिता श्री हुशियारू पुत्र श्री कच्छू, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 26-10-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री हुशियारू पुत्र श्री कच्छू, ग्राम पंचायत चकलू, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 08-02-1992 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पिता श्री हुशियारू पुत्र श्री कच्छू, ग्राम पंचायत चकलू, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 66/2024 ना० तह० वाचक उप० तह० पुखरी/2024/

तारीख दायर : 04-11-2024

हर्षित शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा, गांव शक्तिदेहरा, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

... वादी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

हर्षित शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा, गांव शक्तिदेहरा, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यानहल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में राकेश शर्मा दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल निहूँई, पटवार वृत्त टिकरी, उप-तहसील पुखरी में मेरे पिता का नाम राकेश कुमार पुत्र पिताम्बर दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राकेश कुमार पुत्र पिताम्बर की जगह राकेश कुमार उर्फ राकेश शर्मा पुत्र पिताम्बर दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-11-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District
Registrar of Marriage, Sub-Division Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Agastya Thakur s/o Sh. Narender Thakur, r/o House No. 10, Block No. 1, Ward No. 1, Hira Nagar, Hamirpur (H.P.)-177001.

2. Smt. Nikita Chauhan d/o Sh. Kalyan Singh Chauhan, r/o Parkshit Bhawan Green View Panchi Ahatha Khalini, Shimla, H.P.-171002. .. Applicants.

Versus

General Public

Registration of Marriage under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

WHEREAS, an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Agastyia Thakur and Smt. Nikita Chauhan alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 12-11-2020 and same could not be registered, under the act *ibid* in the office of the Registrar Marriage-cum-Executive Officer, MC Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) within Stipulated Period due to unavoidable circumstances.

NOW THEREFORE, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 23-11-2024. In case no objection is received by 23-11-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-10-2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate- cum-
Additional District Registrar of Marriage,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).*

**Before the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

Ms. Shakuntla Devi d/o Haunsal Ram, Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur,
District Hamirpur (H.P.) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Subject.— Regarding registration of birth under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Ms. Shakuntla Devi d/o Haunsal Ram, Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other non-availability certificate stating therein that she has born on 18-10-1965 at Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed name and date of birth of Ms. Shakuntla Devi d/o Haunsal Ram, Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 23-11-2024 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24-10-2024.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Ramesh Chand age 49 years s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village & P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Savita age 44 years d/o Sh. Kartar Singh, r/o Village Bareti, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

.. Applicants.

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Ramesh Chand age 49 years s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village & P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Savita age 44 years d/o Sh. Kartar Singh, r/o Village Bareti, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 29-01-2001 at Village & P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-11-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-10-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, Additional District Registrar of Marriage -cum- Sub-Divisional Magistrate, Sub-Division Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Kesar Singh s/o Late Sh. Bardu Ram, r/o Village & P.O. Baffrin, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur, H.P.
2. Smt. Anjana Devi d/o Late Sh. Charan Dass, r/o Village Dabrera, P.O. Dughli, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur, H.P. ... Applicants.

Versus

General Public

Registration of Marriage under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

WHEREAS, an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Kesar Singh and Anjana Devi alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 03-12-1997 and same could not be registered, under the act *ibid* in the office of the Local Registrar Marriage-cum-Secretary GP Baffrin, Block Bamson, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur (H.P.) within stipulated period due to unavoidable cricumstances.

NOW THEREFORE, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 03-12-2024. In case no objection is received by 03-12-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 28-10-2024.

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of Marriage,
cum- Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer -cum-Sub-Divisional Magistrate, Sub-Division Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Shubham Kumar age 30 years s/o Sh. Krishan Chand Sayal, r/o Village H.No. 215, Ward No. 1, Krishna Nagar Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Shiwangi Dhiman age 29 years d/o Sh. Balraj Dhiman, r/o Village Santosh Bhawan, Near Hateshwari Temple, Sector-1, New Shimla, District Shimla-171009. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Shubham Kumar and Smt. Shiwangi Dhiman have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed on 24-10-2024 at Santoshi Mata Mandir Ladraur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. according to Hindu rites and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 30-11-2024. In case no objection is received by 30-11-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-10-2024.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Ved Parkash, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.)**

Ms. Sunita Devi d/o Sh. Ranu Ram, Village Choa (Bhou), P.O. Jeehan, Tehsil Nadaun,
District Hamirpur, H.P. .. *Applicants.*

Versus

General Public

..*Respondent.*

Whereas, Ms. Sunita Devi d/o Sh. Ranu Ram, Village Choa (Bhou), P.O. Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Ms. Sunita Kumari in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. as under :

Sl. No.	Applicant	Nature of Vital event	Date of Birth/ Death	Place of Birth/ Death
1.	Ms. Sunita Devi d/o Sh. Ranu Ram, Village Choa (Bhou), P.O. Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.	Birth Event of Applicant	DOB 18-04-1969	Village Choa (Bhou), Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 19-08-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Pankaj Gautam s/o Vijay Kumar, r/o Village Mangul, P.O. & Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).
2. Reena d/o Chint Ram, r/o Village Balna, P.O. & Tehsil Karsog, Distt. Mandi.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an applications u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting Documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-02-2024 at Arya Samaj outer Ring Road Vikash Puri, New Delhi-110018 and they are living as husband and wife since then hence their marriage may be registered.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who have objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 30-11-2024 at 11.00 A.M. The objections(s) after 30-11-2024 will not be entertained by this office and the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 19-10-2024 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

(APRAJITA CHANDEL), HPAS,
*Sub-Divisional Magistrate,
Exercising the power of Marriage officer,
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

आशा देवी पत्नी रणजीत सिंह, गांव व डा0 सापनी, तहसील सागला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया आशा देवी पत्नी रणजीत सिंह, गांव व डा0 सापनी, तहसील सागला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 05-06-1988 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-06-1988 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

ज्ञान भगती पुत्री सुन्दर, गांव व डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया ज्ञान भगती पुत्री सुन्दर, गांव व डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 26-01-1986 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 26-01-1986 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

गंगा भगती पत्नी नन्द लाल, गांव व डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया गंगा भगती पत्नी नन्द लाल, गांव व डा0 चगाव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 13-06-1985 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 13-06-1985 को ग्राम पंचायत चगाव में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

देवी लाल पुत्र पुतु, निवासी ग्राम पुनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

देवी लाल पुत्र पुतु, निवासी ग्राम पुनंग, डा0 व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 07-04-1962 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में देवी लाल पुत्र पुतु की जन्म तिथि 07-04-1962 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-11-2024 को या इससे पूर्व अपना एजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री देवी लाल की जन्म तिथि 07-04-1962 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

उर्मिला पत्नी श्री ओम प्राकश, निवासी जानी, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

उर्मिला पत्नी श्री ओम प्राकश, निवासी जानी, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपने पुत्र समीर की जन्म तिथि 08-09-2008 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में समीर पुत्र ओम प्रकाश की जन्म तिथि 08-09-2008 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-11-2024 को या इससे पूर्व अपना एजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो समीर पुत्र ओम प्रकाश की जन्म तिथि 08-09-2008 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

जीतबर सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी ग्राम जानी, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

जीतबर सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी ग्राम जानी, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 01-10-1967 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में समीर पुत्र ओम प्रकाश की जन्म तिथि 01-10-1967 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-11-2024 को या इससे पूर्व अपना एजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री जीतबर सिंह की जन्म तिथि 01-10-1967 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

केसर मनी पुत्री कमर सुख, निवासी ग्राम व डा0 चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

केसर मनी पुत्री कमर सुख, निवासी ग्राम व डा0 चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपने पुत्र समीर की जन्म तिथि 01-07-1959 ग्राम पंचायत चगांव में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगांव के रिकार्ड में केसर मनी की जन्म तिथि 01-07-1959 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 28-11-2024 को या इससे पूर्व अपना एजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो केसर मनी की जन्म तिथि 01-07-1959 ग्राम पंचायत चगांव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

श्रीमती सनम पती पुत्री श्री जीती सुख, निवासी मीरू, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर, हि0 प्र0

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्रीमती सनम पती पुत्री श्री जीती सुख, निवासी मीरू, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 15-04-1972 ग्राम पंचायत मीरू में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत मीरू के रिकार्ड में श्रीमती सनम पती की जन्म तिथि 15-04-1972 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 02-12-2024 को या इससे पूर्व अपना एजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्रीमती सनम पती की जन्म तिथि 15-04-1972 ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

श्रीमती रंजना पुत्री जयपाल, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रंजना पुत्री जयपाल, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5065, दिनांक 16-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 27-01-1988 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज कुंजा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रंजना पुत्री जयपाल, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

श्रीमती लीला देवी पुत्री शेर सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी पुत्री शेर सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5680, दिनांक 30-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भरली आगरों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती लीला देवी पुत्री शेर सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मेला राम, निवासी मुगलावाला करतारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मेला राम, निवासी मुगलावाला करतारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-2144, दिनांक 27-05-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 16-04-1970 है, जिसका अज्ञानतावश

प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मेला राम, निवासी मुगलावाला करतारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

श्रीमती मेघा पत्नी मुकेश, निवासी नघेता, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती मेघा पत्नी मुकेश, निवासी नघेता, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-7097, दिनांक 15-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्रियां जिनका नाम सानवी पुत्री मुकेश व गुंजन पुत्री मुकेश है, की जन्म तिथियां 27-10-2018 व 11-03-2011 है, जिनका अज्ञानतावश प्रार्थिया की पुत्रियों की जन्म तिथियों का ईन्द्राज ग्राम पंचायत नघेता के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सानवी पुन्डीर व गुंजन पुत्रियां मुकेश, निवासी नघेता, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

गुरपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-7183, दिनांक 18-10-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 21-06-1987 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में गुरपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

दायर तिथि : 29-10-2024

श्रीमती फरजाना पुत्री शौकत अली, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती फरजाना पुत्री शौकत अली, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-2584, दिनांक 21-06-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 04-02-1992 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज घुतनपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती फरजाना पुत्री शौकत अली, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Gagret,
District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Mohit Dadwal s/o Sh. Sansar Chand, r/o V.P.O. Dangoh Khas, Ward No. 2, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.).

2. Yar Nueker d/o U Sujay, r/o Namhsan Republic of Union of Myanmar.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of the Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Mohit Dadwal s/o Sh. Sansar Chand, r/o V.P.O. Dangoh Khas, Ward No. 2, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) and Yar Nueker d/o U Sujay, r/o Namhsan Republic of Union of Myanmar at present w/o Sh. Mohit Dadwal s/o Sh. Sansar Chand, r/o V.P.O. Dangoh Khas, Ward No. 2, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court

of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 22-10-2024 according to Hindu rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-11-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23-10-2024, under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Gagret, District Una, Himachal Pradesh.*

CHANGE OF NAME

I, Pushpa Devi w/o Sh. Atma Ram, r/o Village Sholo, Kilra (162), P.O. Mahog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) age about 55 years do hereby declare that I have changed my name from Asha Devi (Previous name which is mentioned in my Aadhaar Card) to Pushpa Devi (New Name). All concerned please may note.

PUSHPA DEVI
w/o Sh. Atma Ram,
r/o Village Sholo, Kilra (162),
P.O. Mahog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar Sharma s/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Flat No. 126, Type-C, Block No. 6, Sector-1, New Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) do hereby declare that my name in educational records of my son SWASTIK SHARMA in his 10th certificate Roll No. 2310712 (2018) and +2 certificate Roll No.17709601 (2020 from CBSE, New Delhi has been wrongly entered as Sanjay Sharma. Whereas my correct name is SANJAY KUMAR SHARMA. All concerned please may note.

SANJAY KUMAR SHARMA
s/o Sh. Om Prakash Sharma,
r/o Flat No. 126, Type-C, Block No. 6,
Sector-1, New Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ganeshu w/o Late Shesh Ram, r/o Chohari, P.O. Thachi, Sub-Tehsil Thachi, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Devki to Ganeshu. In future I will only be known as Ganeshu.

GANESHU
w/o Late Shesh Ram,
r/o Chohari, P.O. Thachi,
Sub-Tehsil Thachi, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naveen Kumar s/o Mr. Hari Chand, r/o Dhanderwari, P.O. Kavar, Shimla (H.P.) declare that I have changed my son name from ABINAB (Previous Name) to ABHINAV GURATHA (New Name). All concerned please may note .

NAVEEN KUMAR
s/o Mr. Hari Chand,
r/o Dhanderwari, P.O. Kavar, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suneel Kumar Sharma (30) s/o Dila Ram, r/o Village Saned, P.O. Kunhoo, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) do hereby declare that my name is wrongly entered as Suneel Kumar in Aadhar Card, which should be corrected to my correct name *i.e.* Suneel Kumar Sharma.

SUNEEL KUMAR SHARMA
s/o Dila Ram,
r/o Village Saned, P.O. Kunhoo,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Om Prakash s/o Late Durga Singh, r/o Village Dhar, P.O. Sainj, District Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered as Sneha in her Aadhar Card her correct name is Neha as per her all other documents. Please correct her name in Aadhar Card as Neha. All concerned please may note.

OM PRAKASH
s/o Late Durga Singh,
r/o Village Dhar, P.O. Sainj,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Sh. Mohammad Shahjeb aged about 34 years s/o Sh. Zahid Hasan, r/o Idgah Colony, House No. 14/2, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Tabassum aged about 30 years d/o Sh. Mohd. Salim, r/o 98, Kayasthwar, Kairana, Shamli, Kairana, Uttar Pradesh-247 774.

Versus

General Public

Subject.—*Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.*

Sh. Mohammad Shahjeb aged about 34 years s/o Sh. Zahid Hasan, r/o Idgah Colony, House No. 14/2, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Tabassum aged about 30 years d/o Sh. Mohd. Salim, r/o 98, Kayasthwar, Kairana, Shamli, Kairana, Uttar Pradesh-247 774 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 09-02-2020 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 27-11-2024 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 28th October, 2024.

Seal

Sd/
(BHANU GUPTA, HPAS),
*Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).*

In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Sh. Manan Sood aged about 30 years s/o Late Sh. Sanjay Sood, r/o Floor No. 1, Sood Niwas, Near Hotal Spring Field, Chotta Shimla-171 002, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Ayushi Srivastava aged about 29 years d/o Sh. Dharendra Srivastava, r/o House No. 199, Sector-11 D, Faridabad, Haryana-121 006.

Versus

General Public

Subject.—*Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.*

Sh. Manan Sood aged about 30 years s/o Late Sh. Sanjay Sood, r/o Floor No. 1, Sood Niwas, Near Hotal Spring Field, Chotta Shimla-171002, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Ayushi Srivastava aged about 29 years d/o Sh. Dharendra Srivastava, r/o House No. 199, Sector-11 D, Faridabad, Haryana-121006 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 23-11-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 28-11-2024 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 29th October, 2024.

Seal.

Sd/
(BHANU GUPTA, HPAS),
*Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).*

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

Sh. Pratap Singh s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Chichwari, P.O. Rohal, Tehsil Chirgaon,
District Shimla (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Pratap Singh s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Chichwari, P.O. Rohal, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 to enter the date of Birth of his son Vikrant Chauhan 20-01-2010 in the record of Birth Register of Gram Panchayat Rohal Development Block Chhohara.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Vikrant Chauhan (20-01-2010), they should appear

before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 25th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.).
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

Smt. Sita Thakur w/o Late Sh. Vinod Kumar, r/o Ward No. 2 Chirgaon, P.O. & Tehsil
Chirgaon, District Shimla (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Sita Thakur w/o Late Sh. Vinod Kumar, r/o Ward No. 2 Chigaon, P.O. & Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 to entry the date of Birth of her son Sujal 12-03-2010 in the record of Birth Register of Municipal Council Rohru.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Sujal (12-03-2010), they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 26th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.).
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, I.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Suraj Kumar s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Bashla, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Mamta d/o Sh. Guru Dev, r/o Village Nandla, P.O. Jangla, Sub-Tehsil Jangla, District Shimla (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

Subject.— Registration of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 .

Whereas the above named applicants have made an application of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnizee their marriage on 03-05-2023 at Village Bashla, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the, Gram Panchayat Bashla, Dev. Block Rohru, District Shimla (H.P.) and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage.

Now, Therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any futher opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 23rd October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.),
*Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, I.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sahil s/o Late Sh. Krishan Lal Tegta, r/o Village Kashani, P.O. & Tehsil Tikkar, District Shimla (H.P.) age 33 years.

2. Babita d/o Late Sh. Bihari Lal Pirta, r/o Village Kharapathar, P.O. Deem, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) age 45 years . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject.— Registration of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 .

Whereas the above named applicants have made an application of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnizee their marriage on 23-10-2022 at Hatkoti Temple Jubble, District Shimla (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the, Gram Panchayat Tikkar, Dev. Block Rohru, District Shimla (H.P.) and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage.

Now, Therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any futher opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

